माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P.Legislative Assembly)

क्र. / अका. / 2018 / ..1183 भोपाल, दिनांक 12 /07/2018

आदेश

विश्वविद्यालय में प्रबंध उपसमिति की बैठक दिनांक 04 जुलाई, 2018 को बैठक में कार्य सूची क्रमांक 07 में उल्लेखित **चाइल्ड केयर अवकाश नीति** को अनुमोदन प्रदान किया गया है । इसके अनुपालन में निम्नानुसार चाइल्ड केयर (संतान अवकाश नियमावली) को अधिसूचित एवं लागू किया जाता है ।

संतान पालन अवकाश नियमावली

1. जिन महिला अभ्यार्थियों की संतान, विकलांग/गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उन महिला अभ्यार्थियों को संतान पालन अवकाश में जिला चिकित्सालय मेडिकल बोर्ड का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की दशा में प्राथमिकता दी जावेगी।

2. इसी प्रकार उन महिला अभ्यार्थियों को भी संतान पालन अवकाश में प्राथमिकता दी जावेगी, जो परित्यक्ता, विधवा, तलाकशुदा एवं विकलांग की श्रेणी में आती हो, साथ ही साथ उन महिला कर्मचारियों को भी प्राथमिकता दी जावेगी, जिनके पति महिला अभ्यार्थी की पदस्थापना स्थान से अन्यत्र स्थान पर पदस्थ/कार्यरत हो।

3. उन महिला अभ्यार्थियों को भी संतान पालन अवकाश में प्राथमिकता दी जावेगी, जिनके पति टर्मिनल/गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो।

4. यदि किसी स्तर पर किसी विषय में महिला अभ्यार्थियों की संख्या अधिक होती है तो ऐसी स्थिति में उन महिला अभ्यार्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी, जिनकी संतान की उम्र कम होगी।

5.संतान पालन अवकाश इस प्रकार स्वीकृत किया जावेगा कि किसी समय विश्वविद्यालय के समस्त परिसरों को मिलाकर एक विभाग में एक एवं अधिकतम 5 प्रतिशत महिला अभ्यार्थियों को उनकी प्राथमिकता के अनुक्रम में संतान पालन अवकाश का प्रकरण अनुशंसित/स्वीकृत किया जावेगा। किसी स्थिति में एक समय में विश्वविद्यालय में संतान पालन अवकाश स्वीकृति करने की संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकेगी।

6. उन महिला कर्मचारियों को भी संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जावेगा, जिनका तत्कालीन पद रिक्त मानते हुए, अवकाश से वापस आने पर उनकी पदस्थापना विश्वविद्यालय में अथवा विश्वविद्यालय के अन्य परिसरों में समकक्ष रिक्त पद पर की जावेगी।

7. प्राथमिकता तय करने व संख्या निर्धारित करने के लिए प्रकरण त्रेमासवार, छह मास में एकत्र कर उपरोक्त तय प्राथमिकता के परिप्रेक्ष्य में निराकृत किये जावेंगें।

8.संतान पालन अवकाश आवेदन करने हेतु निर्धारित समय सीमा अर्जित अवकाश की भॉति अर्थात तीन सप्ताह पूर्व ही होगी। चाईल्ड केयर अवकाश निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर प्रस्तुत करना होगा।

9.संतान पालन अवकाश उन महिला अभ्यार्थियों को स्वीकृत किया जा सकेगा, जिन महिला कर्मचारियों की संतान की आयु 18 वर्ष से कम है । संतान पालन अवकाश हेतु संतानों की संख्या तथा आयु प्रमाण-पत्र प्रमाणीकरण अपरिहार्य है ।

शेष अगले पृष्ठ पर

बी-38, विकास भवन, प्रेस कॉम्प्लेक्स, एम.पी.नगर, जोन-1, भोपाल (म.प्र.) - 462011, फोन: (0755) 2551642 फैक्स : (0755) 2551641
B-38, Vikas Bhawan, Press Complex, M.P.Nagar, Zone-1, Bhopal (M.P.) 462011, Phone- (0755) 2551642, Fax: (0755) 2551641
website - www.mcu.ac.in

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P.Legislative Assembly)

10.चाईल्ड केयर अवकाश महिला सेवक को उसकी दो ज्येष्ठ जीवित संतानों की देखभाल के लिए अधिकतम 730 दिन की कालावधि का संतान देखभाल अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

11.यह एक कैलेंडर वर्ष में तीन बार से अधिक के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा। एक दिन के लिए उपभोग किया गया अवकाश भी एक बार के रूप में गिना जाएगा।

12.अवकाश का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकेगा। शैक्षणिक कार्य प्रभावित न हो अतः वरीयता क्रम से इस अवकाश को स्वीकृति किया जावेगा।

13.संतान पालन अवकाश में किसी प्रकार के पृथक से प्रमाण-पत्र को आवश्यकता नहीं होने का आशय संतान के स्वास्थ्य, अध्ययनरत आदि जैसे तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में है।

14. कार्य की अनिवार्यता और विकल्प उपलब्ध न होने की स्थिति में विश्वविद्यालय चाईल्ड केयर अवकाश के संबंध में प्राप्त आवेदनों पर उपयुक्त निर्णय ले सकेगा ।

यह नियमावली, संतान पालन अवकाश के विश्वविद्यालय में प्राप्त आवेदनों में प्राथमिकता एवं अन्य शर्ते निर्धारित करने के लिए लागू होगी।

(प्रो.संजय द्विवेदी)
कुलसचिव

क्र. / अका. / 2018 / ..1184..   भोपाल, दिनांक 12 /07/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषित :-

1. निज सचिव, कुलपति / कुलाधिसचिव / कुलसचिव ।
2. समस्त विभागाध्यक्षों / प्रभारी अधिकारियों को इस आशय के साथ सूचनार्थ कि वे अपने विभाग में समस्त कर्मचारियों को सूचना प्रदान करेंगे ।
3. समस्त परिसर प्रभारियों को इस आशय के साथ सूचनार्थ कि वे अपने विभाग में समस्त कर्मचारियों को सूचना प्रदान करेंगे ।
4. वेब साइट पर इस आदेश की प्रति प्रदर्शित करने हेतु ।
5. समस्त सूचना पटलों पर चस्पा करने हेतु ।

संजय द्विवेदी
(प्रो.संजय द्विवेदी)
कुलसचिव

बी-38, विकास भवन, प्रेस कॉम्प्लेक्स, एम.पी.नगर, जोन-1, भोपाल (म.प्र.)- 462011, फोन: (0755) 2551642 फैक्स : (0755) 2551641
B-38, Vikas Bhawan, Press Complex, M.P.Nagar, Zone- 1, Bhopal (M.P.) 462011, Phone- (0755) 2551642, Fax: (0755) 2551641
website - www.mcu.ac.in